SCA

(78)

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 19th September 1971

G.S.R. 1490.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent-cum-Accountant in the Subordinate Offices under the Department of Company Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Company Affairs (Superintendent-cum-Accountant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

SCH

Recruitment Rules for the Post of Superintendent-Cum-Accountant in the Subordinate Offices

Name of Post	No of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Superintendent *Cum*-Accountant	4	General Central Service, Class II, Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 325—15—475—EB—20—575	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

DULE

(Department of Company Affairs)

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
10	11	12	13
By promotion, failing which by deputation	*Promotion*—Superintendent (Grade I) and Inspector in the scale of Rs. 350—475 with at least 2 years' service in the grade, rendered after appointment thereto on a regular basis. *Deputation*—Officers of the rank of S. A. S. Accountant from any of the Organised Accounts Departments, *e.g.*, the Indian Audit and Accounts Departments, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years)	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

Attested

(पी.के. कैलाश बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

[No. 5/12/67-Admn. II.]

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 19 जून, 1971

सा० का० नि० 1490.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों में अधीक्षक–एवं–लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्य विभाग (अधीक्षक-एवं-लेखापाल) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकृत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

अधीनस्थ कार्यालयों (कम्पनी कार्य विभाग) में अधीक्षक एवं लेखापाल पद के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
अधीक्षक-एवं-लेखापाल	4	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 2, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	325–15–475–द० रो०–20–575	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति अधीक्षक (ग्रेड I) और 350–475 रु० के वेतनमान में के निरीक्षकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार नियुक्ति के पश्चात् कम से कम दो वर्ष की सेवा कर ली हो। प्रतिनियुक्ति—किन्हीं भी संगठित लेखा विभाग के, जैसे भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखापाल रक के अधिकारियों में से। (प्रतिनियुक्ति की अवधि—साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं)	विभागीय प्रोन्नति समिति वर्ग–2	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं० 5/12/67–प्र० शा०–2]

New Delhi, the 30th August 1971

G.S.R. 1491.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of staff car drivers in the Subordinate Offices under the Department of Company Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Company Affairs (Recruitment of staff car drivers in the offices of the Regional Directors) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force in the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054